

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग


क्रमांक प.1 (20) एम.ई/ग्रुप-1/2015

810Z NNC 2 2
जयपुर, दिनांक
22 JUN 2018

आदेश


राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार रेडियोलोजिकल फिजिक्स विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार अस्थाई वरिष्ठता (Provisional) सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक इससे परिवेदित हो तो इसके जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में अपना अभ्यावेदन प्रमाणित दस्तावेजों सहित इस विभाग को निश्चित रूप से प्रेषित कर दें। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी:-

क्र० सं.	नाम चिकित्सक	वर्ग	जन्म तिथि	चयन वर्ष	डी०पी०सी० के अन्तर्गत पदोन्नति तिथि
वरिष्ठ आचार्य/आचार्य					
1	डॉ० ए०ए०चौगले	सामान्य	11.12.1959	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.4.2015
2	डॉ० देवेश गुप्ता	सामान्य	06.02.1965	2013-14	वरिष्ठ आचार्य 01.4.2017
सह आचार्य					
1	डॉ० कुलदीप सिंह झाँता	सामान्य	02.07.1965	2008-09	वर्तमान में ए०सी०बी० का प्रकरण विचाराधीन है।
सहायक आचार्य					
1	डॉ० रतन सिंह	सामान्य	01.05.1963	12.01.1995	-
2	डॉ० मुरली राम	अंजा	01.07.1965	04.11.1996	-
3	डॉ० अरविन्द कुमार शुक्ला	सामान्य	15.12.1985	28.02.2013	-
वरिष्ठ प्रदर्शक					
1	डॉ० अतियमान एम०	सामान्य	03.01.1987	23.10.2012 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण)	-

आदेश से

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा/उदयपुर।
3. संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, संबंधित मेडिकल कॉलेज।
4. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव